कार्यालय निदेशक आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून **के** अवधि 07/2014 **से** 04/2016 **तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा** श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री संदीप कुमार गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश सिंह नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा** दिनांक 09.05.2016 से 25.05.2016 तक **श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

निरीक्षण आख्या कार्यालय निदेशक आई.सी.डी.एस., उत्तराखण्ड, देहरादून **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2014 से 24.07.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 04/2012 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 07/ 2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा।

1. श्रीमती कामिनी गुप्ता,	प्रभारी उपनिदेशक	7/2014 से 06.10.15 तक
2. श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल,	निदेशक	07.10.15 से 13.10.15 तक
3. श्रीमती कामिनी गुप्ता,	प्रभारी उपनिदेशक	14.10.15 से 04.05.16
4. श्रीमती विम्मी सचदेवा रमन,	निदेशक	05.05.16 से अब तक

3. अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	भाग-दो (अ)	भाग-दो (ब)	स्टैन
2011-12	04	01, 02, 03	शून्य	शून्य
2012-13	20	01	02	01
2014-15	68	शून्य	02	01

4. सतत् अनियमितताये - शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) - एन.जी.ओ. के अभिलेख।

6. बजटः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	1305.46	1228.72	-	-
2014-15	3304.03	2585.21	-	-
2015-16	2634.82	1442.03	-	-

भाग दो ब

प्रस्तर 1: ` 13.50 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र अगस्त 2015 में जनपद हरिद्वार में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण कामकाजी महिला छात्रावास के पास रिक्त पडी भूमि में किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के प्रारम्भिक तथा प्रक्रियात्मक कार्यो हेतु लागत ` 43.61 लाख के सापेक्ष टीएसी वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत रू 16.60 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी के तारतम्य में निदेशालय आईसीडीएस उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र अक्टूबर 2015 द्वारा ` 16.60 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी ।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड के पत्र फरवरी 2016 को यह निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण की योजना को निरस्त कर दिया गया है तथा निकट भविष्य में भी उक्त निर्माण कार्य कराये जाने की कोई सम्भावना नही है। राज्य सरकार द्वारा योजना की सम्पूर्ण धनराशि को वहन किया जाना सम्भव नही होने के कारण बैठक में जनपद हरिद्वार की इस योजना को निरस्त किये जाने का शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है।

निदेशालय आईसीडीएस उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र फरवरी 2016 के द्वारा निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लि0 इकाई 2 देहरादून को तत्काल प्रभाव से कार्य रोकते हुए अवमुक्त की गई धनराशि ` 16.60 लाख मय ब्याज सहित राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया गया। जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था के पत्र फरवरी 2016 के द्वारा यह कहते हुए कि उक्त डीपीआर के गठन एवं वास्तविदीय संरचनीय मानचित्र तैयार करने हेतु वास्तविद को ` 13.60 लाख का भुगतान भी कर दिया गया था। शेष धनराशि ` 3.10 लाख एवं ब्याज की धनराशि ` 10,150 को जोड़ते हुए कुल ` 3,20,150 का चेक द्वारा वापस का प्रेषित कर दिया गया था। इस प्रकार विभाग द्वारा ` 13.50 लाख का किया गया व्यय निरर्थक रहा।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि संस्था द्वारा व्यय धनराशि ` 13.50 लाख के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने /यदि भुगतान वित्तीय नियमों/शासनादेशानुसार है तो ` 13.50 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यदायी संस्था को निदेशालय के पत्र दिनांक 30.03.2016 प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र पर संस्था द्वारा कार्यवाही अपेक्षित हे। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग कार्य को रोकते हुए उक्त राशि शासन को वापस की जानी थी। जो वापस न करके ` 13.50 लाख का व्यय किया गया।

अतः ` 13.50 लाख की धनराशि का निष्फल व्यय किया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 2 : ` 6241.50 लाख आंगनबाडी केन्दों के भवन निर्माण की धनराशि का अवरूद्ध रखा जाना एवं 1369 नवीन आगनबाडी केन्दों एवं 99 उच्चीकरण आगनबाडी केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र फरवरी 2014 के अनुसार 1450 नये आंगनबाडी केन्द्रों का भवन निर्माण एवं 113 आंगनबाडी केन्द्रो के भवन निर्माण के उच्चीकरण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करतें हुए रू 6,638 लाख की धनराशि ब्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी के सापेक्ष निदेशक आईसीडीएस उत्तराखण्ड देहरादून ने पत्र फरवरी 2015 के द्वारा 1450 नवीन आंगनबाडी केन्द्रो के भवन निर्माण एवं 113 पुराने आगनबाडी केन्द्र के भवन के उच्चीकरण हेतु 13 जनपदों को ` 6638 लाख अवमुक्त कर दिया गया था।

उक्त कम में यह भी निर्देशित किया गया था कि तदनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए निर्धारित संख्या में भवनों के निर्माण/उच्चीकरण की औपचारिकता जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करते हुए समिति के अनुमोदनपरान्त धनराशि को कार्यदायी संस्था के खाते में नियमानुसार हस्तांरित करते उसी वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपभोग करना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक ` 4. 50 लाख की धनराशि प्रति अ्रंगनबाडी केन्दों के भवन निर्माण एवं ` 1.00 लाख की धनराशि पुराने आंगनबाडी केन्द्रो के भवन के उच्चीकरण हेतु जिला कार्यकम अधिकारी के निर्वतन पर जारी की जा रही हे। इस कार्य हेतु समिति द्वारा ही कार्यदायी संस्था का गठन किया जाए।

कार्यालय निदेशक आईसीडीएस उत्तराखण्ड देहरादून के आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 13 जनपदों के लिए कुल ` 6638 लाख की धनराशि अवमुक्त किया गया था। जिसमें 1450 नवीन आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं 113 उच्चीकरण आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण किया जाना था। लेकिन 1450 आंगनबाडी केन्द्रों में से 85 भवन पूर्ण एवं 1365 भवन अपूर्ण थे। संलग्लक क के अनुसार उच्चीकरण हेतु 113 भवनो में से 14 पूर्ण तथा 99 भवन अपूर्ण थे। इस प्रकार विभाग एवं कार्यदायी के पास ` 6241.5 लाख अवरूद्ध रखा गया था। संलग्नक 'क'

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ईकाई ने कहा है कि उक्त निर्माण पर अतिरिक्त धनराशि का व्यय मनरेगा से डवटेलिंग कर किया जाता है। जनपदस्तर पर निर्माण हेतु शासनादेश फरवरी 2014 के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही की जाती है। उत्तर मान्य नही क्योंकि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण 13 माह व्यतीत हो जाने के कारण अभी तक कार्य अपूर्ण थे।

अतः ` 6241.50 लाख आंगनबाडी केन्दों के भवन निर्माण की धनराशि का अवरूद्ध रखा जाना व 1369 नवीन आगनबाडी केन्दों एवं 99 उच्चीकरण आगनबाडी केन्दों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3: भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बगैर विशेष योजनागत सहायता (एस.पी.ए.) के कार्यों में पंचाचुली वूमैन वीवर्स को धनराशि ` 36.45 लाख की प्रतिपूर्ति करना एवं धनराशि ` 1,42,500 का अधिक भुगतान।

वर्ष 2013 में उत्तराखण्ड में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बादल फटने एवं बाढ़ आदि के कारण भारत सरकार द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों हेतु विशेष योजनागत सहायता (एस.पी.ए.) हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग की अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्ष–2245, में उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के अन्तर्गत Sustainable livelihood approach for women and adolescent girls in natural disaster in affected area of Rudraprayag, District के अन्तर्गत आपदा प्रभावित महिलाओं को निशुल्क एल.पी.जी. गैस कनैक्शन आवंटन सहित अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–4332/XVIII–(2)/14–4 (38)/2014 दिनांक 26.09.2014 के द्वारा धनराशि ` 223.00 लाख अवमुक्त किये गये।

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति देहरादून द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड, उखीमठ के आपदा प्रभावित 07 ग्रामों में परियोजनान्तर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु पंचाचुली वूमैन वीवर्स, अल्मोड़ा के साथ दिनांक 26.08.2014 को अनुबंध किया गया।

अनुबंध के अनुसार पंचाचुली वूमैन वीवर्स, अल्मोड़ा को केदारनाथ घाटी, रूद्रप्रयाग के 07 ग्रामों की 300 महिलाओं को हथकरघा उद्योग विकास के माध्यम से आजीविका संवर्धन के साधनों का विकास करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं समिति के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पंचाचुली वूमैन वीवर्स द्वारा परियेाजना संचालन हेतु कुल धनराशि ` 122.95 लाख का प्रस्ताव परियेाजना स्वीकृति समिति उत्तराखण्ड के समक्ष दिनांक 23.06.2014 को रखा गया।

उक्त धनराशि में ` 36.45 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी शामिल थी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि का व्यय पंचाचुली वूमैन वीवर्स द्वारा पूर्व में ही मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत योजना की प्रत्याशा में किया था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा धनराशि ` 36.45 लाख पंचाचुली वूमैन वीवर्स को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी, जिसकी प्रतिपूर्ति पंचाचूली वूमैन वीवर्स द्वारा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से किये जाने का आग्रह राज्य परियोजना स्वीकृति समिति से किया गया, जिसको समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इस प्रतिपूर्तित धनराशि ` 36.45 लाख को अवमुक्त करने से पूर्व भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

अभिलेखों में आगे जांच में पाया गया कि पंचाचुली वूमैन वीवर्स को प्रतिपूर्ति की गई धनराशि ` 36.45 लाख में 300 प्रशिक्षार्थियों को ` 1500 की दर से प्रशिक्षण भत्ता धनराशि ` 22. 50 लाख का भुगतान किया गया, जबकि अभिलेखों में 300 के स्थान पर मात्र 205 महिला लाभार्थी थे। इस प्रकार 95 प्रशिक्षार्थियों को धनराशि ` 1500 की दर से कुल धनराशि ` 1,42,500 की अधिक प्रतिपूर्ति की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि परियोजना स्वीकृति, उत्तराखण्ड के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पंचाचुली वूमैन वीवर्स को परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं तद्क्रम में धनराशि ` 36.45 लाख की प्रतिपूर्ति की गयी थी। अधिक प्रतिपूर्ति के संबंध में पंचाचुली वूमैन वीवर्स द्वारा उपलब्ध करायी गयी 300 लाभार्थियों की सूची संलग्न की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि भारत सरकार द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्यों हेतु प्रदत्त धनराशि से किसी प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रतिपूर्ति करने के पूर्व भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी। इसी प्रकार, संयुक्त जांच दल एवं जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तुत आख्याओं में क्रमशः 205 व 229 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने को प्रमाणित किया गया है। अतः प्रतिपूर्ति की गई अधिक धनराशि ` 1,42,500 की वसूली/समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 4: ` 96.87 लाख की धनराशि का विगत दो वर्षो से अवरूद्ध रखा जाना।

भारत सरकार द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डिया मिक्स गेहू 14930 मीट्रिक टन उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिए यह आंवटन किया गया था। जिसकी अनुमानित लागत ` 22. 14 करोड़ थी। उक्त राशि भारत सरकार द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के पत्र संख्या /डब्लूएफपी/डीएसओ/विविध/यूके/8474/14 दिनांक 22.11.2013 द्वारा यह अवगत कराया गया है। कि अवशेष 250 एमटी ` 4,83,284 एवं आईइसी क्रियावन्यन हेतु ` 82,03,403 धनराशि कुल ` 86,86,687 दिनांक 06.06.2014 को निदेशक आईसीडीएस देहरादून के नाम खोले गये बैक खाता सं0 20678104759 इलाहाबाद बैक देहरादून में जमा कर दिया गया है।

इसी प्रकार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र सं0 मेमो दिनांक 09.12.2014 द्वारा चेक संख्या 11600 दिनांक 09.12.2014 द्वारा ` 10.00 लाख स्वच्छतता मिशन के अन्तर्गत जनपद देहरादून के आंगनबाडी केन्द्रो के बच्चों के लिए स्वच्छता किट उपलब्ध करवानें के बाबत उक्त धनराशि प्रदान की गई है।

कार्यालय निदेशक आईसीडीएस देहरादून के अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अर्न्तगत जून 2014 में प्राप्त धनराशि ` 86,86,687 निदेशक आईसीडीएस देहरादून के बैक खाते मे जमा थी। उक्त राशि अप्रैल 2016 तक व्यय नही किया गया था। और न ही उक्त राशि भारत सरकार को वापस ही की गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बाल स्वच्छता मिशन के अर्न्तगत जनपद देहरादून के आंगनबाडी केन्द्रों के बच्चों के लिए स्वच्छता किट उपलब्ध करवानें के बाबत ` 10 लाख की धनराशि दिसम्बर 2014 में प्रदान

की गई थी। परन्तु अभी तक उक्त राशि व्यय नही की गई थी। विभाग के खाते मे अवरूद्ध पडी थी।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा ,द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा विभाग को वापस की गई धनराशि 86,86,987 इलाहाबाद बैंक, नेहरू कालोनी देहरादून में तत्कालीन निदेशक महोदया के निर्देशानुसार रखी गई है। एमडीडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि ` 10 लाख के व्यय करने हेतु अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप क्रय की कार्यवाही इस वित्तीय वर्ष में की जायेगी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण जून 2014 एवं दिसम्बर 2014 से उक्त राशि व्यय नही किया जा सका। तथा उक्त धनराशियों का अनावश्यक अवरूद्ध रखा जाना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है।

अतः ` 96.87 लाख की धनराशि का विगत दो वर्षो से अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 5 : पी.एल.ए. खाते में धनराशि ` 31.58 लाख का अवरोधन।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 344 / XVII (4) 2014/39/2004 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा मेडिसिन किट, साड़ी सूट के क्रय एवं आगंनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए शासन द्वारा क्रमशः ` 1,75,07,000, ` 1,28,56,855 तथा ` 1,10,000 निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें के नाम आवंटित किये गये थे।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि उपरोक्त आवंटन के सापेक्ष कार्यालय द्वारा बाउचर संख्या पी 84430070 दिनांक 28.03.2016 एवं कार्यालय द्वारा बाउचर संख्या पी 84430079 दिनांक 28.03.2016 द्वारा मिनी मेडिसिन किट एवं मेन मेडिसिन किट के क्रय के सापेक्ष में क्रमशः ` 24,05,812 एवं ` 1,19,43,476 का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया था। पुनः कार्यालय द्वारा बाउचर संख्या पी 84430046 दिनांक 22.03.2016 से आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पुरस्कार देने हेतु ` 1,10,000 आहरित किया गया था एवं साड़ी–सूट क्रय के सापेक्ष ` 1,28,56,855 का भुगतान कार्यालय द्वारा बाउचर संख्या पी 84430118 दिनांक

31.03.2016 से किया गया। इस प्रकार अंतिम अवशेष के रूप में कार्यालय के पी.एल.ए. खातें में 31.03.2016 को ` 31,57,712 जमा किये गये थे। जबकि जिन उद्देश्यों एवं सामग्रियों के क्रय के लिए शासन द्वारा धनावंटित किया था उनका भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि धनराशि के समर्पण की कार्यवाही गतिमान है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि नियमानुसार आवंटन के सापेक्ष मदवार व्यय किये जाने के उपरांत अवशेष धनराशि उसी वर्ष शासन को समर्पित कर दी जानी चाहिए।

इस प्रकार बिना उद्देश्यों के विभागीय पी.एल.ए. खाते में ` 31.58 लाख के अवरोधन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 6 : विभागीय शिथिलता के कारण प्री–स्कूल किट आपूर्ति के निहित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मत्रांलय के पत्र संख्या 01–08/2012–सी.डी.–I दिनांक 22 अक्टूबर 2012 द्वारा समन्वित बाल विकास सेवाओं के सुदृढीकरण एवं पुर्नसंरचना सम्बन्धी निर्गत आदेश में आगनबांड़ी केन्द्रों एवं मिनी आगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के पूर्व विद्यालयी शिक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सभी आगनबांड़ी केन्द्रों एवं मिनी आगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री स्कूल किट एवं मिनी प्री–स्कूल किट उपलब्ध करायें जाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये थें। जिसके अनुसार प्री स्कूल किट के सामग्री का चयन एस.सी.ई.आर.टी. एवं अन्य विशिष्ट संस्थानों से सम्पर्क कर इस प्रकार किया जाना था कि किट में सम्मिलित सामग्रियों के माध्यम से बच्चों का अधिकतम शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जा सकें।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान प्री स्कूल किट एवं मिनी प्री स्कूल किट के क्रय संबंधी पत्रावली के अवलोकन में यह तथ्य सामने आये कि उपरोक्त किटों के क्रय के लिए वर्ष 2014–15 में कुल धनराशि ` 70,02,800 का आवंटन प्राप्त हुआ था। कार्यालय द्वारा उपरोक्त सामग्री के क्रय हेतु सामग्रियों का चयन दिनांक 22.11.2014 को किया गया तथा इस हेतु जनवरी 2015 में इ–टेण्डरिंग की गयी थी। दिनांक 19 मार्च 2015 को वित्तीय निविदा के आधार पर में प्री–स्कूल किट एवं मिनी प्री–स्कूल किट हेतु क्रमशः 03 एवं 01 फर्म को सफल घोषित किया गया था। परन्तु दिनांक 27 मार्च 2015 को अपरिहार्य कारणों से ई–टेण्डरिंग को रद्द कर दिया गया तथा अनुदान संख्या 31 में प्री–स्कूल किट के क्रय न होने के कारण ` 52,26,800 धनराशि शासन को समर्पित कर दी गयी थी। वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा ` 16,72,28,000 की धनराशि उपरोक्त योजना हेतु पुनः आवंटित की गयी थी परन्तु दिनांक 29 मार्च 2016 तक केवल किट में सम्मिलित किये जाने वाले सामग्रियों का चयन ही सम्भव हो पाया था।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि अपरिहार्य कारणों से वर्ष 2014–15 में निविदा निरस्त कर दी गयी थी तथा वर्ष 2015–16 में निविदा का कार्य पूर्ण नहीं किये जा सकने के कारण सामग्री का क्रय नहीं किया जा सका। इकाई से यह पूछे जाने पर कि पूर्व में सामग्री का क्रय कब किया गया था, क्या इन सामग्रियों का क्रय प्रतिवर्ष किया जाना है तथा उपरोक्त सामग्रियों के अभाव में बच्चों के शिक्षा का कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जा रहा है, इकाई ने अवगत कराया कि इन सामग्रियों का क्रय प्रतिवर्ष किया जाना है परन्तु पूर्व में वर्ष 2011–12 में सामग्रियों का क्रय किया गया था तथा पुरानी सामग्री से ही बच्चों के शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सामग्री क्रय हेतु धनराशि का आवंटन निर्गत शासनादेश के उपबंधों, जिसमें यह उल्लेखित है कि सामग्री का क्रय प्रतिवर्ष किया जाना है जिनमें विविध प्रकार के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास की सामग्रियों का सम्मिलित किया जाएं जिससें बच्चों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सकें, को पूर्ण करने के लिए किया जाता है।

इस प्रकार धनराशि के आवंटन के उपरांत भी विभागीय शिथिलता के कारण प्री–स्कूल किट क्रय नही किये जाने से निहित उद्देश्यों के अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: ` 6.48 लाख की धनराशि अउपयोगित पडी रहना।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 11–18 वर्ष की किशोरी के विकास एवं सशक्तिकरण केन्द्रित करते हुए भारत सरकार सहायतित सबला योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, चमोली ,उत्तरकाशी एवं नैनीताल के 25 बाल विकास परियोजनाएं लागू की गई थी। प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्रो पर एक सखी एवं दो सहेलियों का चयन कर किशोरियों के समूह के प्रशिक्षण आई एफ ए वितरण किशोरी किट द्वारा ज्ञानावर्जन किशोरी दिवस आदि गतिविधियों आयोजित की जाती है। 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली एवं 15–18 वर्ष की समस्त किशोरियों का अनुपूरक पोषाहार किये जाने की व्यवस्था सबला योजना में रखी गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी। इस हेतु भारत सरकार द्वारा ` 1.33 .करोड की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। इसी क्रम में शासनादेश सं0 987 दिनांक 13.05.14 को ` 66,50,000 एवं शासनादेश मार्च

2014 को ` 66,50,000 अर्थात कुल ` 133.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दिया गया था।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के निम्न शर्तों के अधीन उक्त धनराशियों का व्यय किया जाना था।

01 उक्त आंवटित धनराशि का व्यय मितव्यतता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा आंवटित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि आंवटित की गई है।

07 इस योजना के अर्न्तगत आंवटित/व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यक्षाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध करवाये।

09 उक्त धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना था।

कार्यालय निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद चमोली एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तरकाशी को वर्ष 2014–15 में क्रमशः ` 34.20 लाख एवं ` 22.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिसके सापेक्ष क्रमशः ` 30.73 लाख एवं ` 19.80 लाख की धनराशि व्यय किया जा चुका था। तथा अवशेष राशि क्रमशः ` 3,47,400 लाख एवं 3,00,420 यानि कुल ` 6,47,820 की धनराशि अभी तक अनुपयोगित पड़ी हुई थी। न ही उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमााण पत्र प्राप्त हुआ था। जबकि उक्त धनराशि का अवमुक्त किये दो वित्तीय वर्ष व्यतीत हो चुके थे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी को अवशेष धनराशि को व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये जायेगें। उत्तर मान्य नही है क्योकि दो वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अवशेष राशि का व्यय नही किया जा सका जबकि उक्त राशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था।

अतः ` 6,47,820 लाख की धनराशि का अनुपयोगित पड़ी रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग–तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय** निदेशक आई.सी.डी.एस., उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ

उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)